पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 94/2019

अनवान :

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी भोजासर चक 1 एमएसआर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी भोजासर चक 1 एमएसआर भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. तोखराम पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी भोजासर चक 1 एमएसआर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा **चक 1 एमएसआर** के खाता सं0 95/91 के मु0नं0 8 के किला नं0 6/2 की 0.013 है0, किला नं0 7/2 की 0.013 है0, किला नं0 8/2 की 0.038 है0 किला नं0 9/2 की 0.051 है0, किला नं0 10/2 की 0.063 है0 किला नं. 11 ता 14 सम्पूर्ण, किला नं. 15/1 की 0.126 है0 किला नं0 17/1 की 0.139 है0 किला नं0 18 ता 22 सम्पूर्ण, किला नं0 23/1 की 0.152 है0 किला नं0 24 की 0.013 है0 कुल किता 10 की 2.8850 है0 मु0नं0 9 के किला नं0 1 की सम्पूर्ण गैरमुमकिन खाला 0.025 है0 किला नं0 2/1 की 0.152 है0 किला नं0 3 की 0.013 है0 कुल किता 3 की 0.418 है0 नहरी 0.315 है0 गैरमुमकिन खाला 0.050 है0 खाते का कुल योग कुल किता 21 की 3.3030 है0 नहरी 3.2530 है0 गै0मु0 खाला 0.050 है0 व **चक 1 डीपीएन** के खाता सं0 126/121 के मु0नं0 66 के किला नं0 24 की 0.190 है0 नहरी मु0नं0 67 के किला न0 1 ता 4 सम्पूर्ण, किला नं0 5 की 0.139 है0, किला नं0 6 की 0.051 है0 किला नं0 7 की 0.051 है0, किला नं0 8 की 0.038 है0 किला नं0 9 की 0.025 है0, किला नं0 10 की 0.013 है0 कुल किता 10 की 1.329 है0 नहरी कुल किता 11 की 1.519 है0 नहरी व **चक 9 एसडीआर** के खाता सं0 95/57 के मु0नं0 80 के किला नं0 11 ता 20 की सम्पूर्ण, किला नं0 22 की 0.215 है0 किला नं0 23 की 0.215 है0 किला नं0 24 की 0.215 है0 किला नं0 25 की 0.215 है0 कुल किता 14 की 3.390 है0, नहरी 1.227 है0 व बारानी 2.088 है0 व गै0मु0 खाला 0.075 है0 दर्ज है। मु0नं0 83 के किला नं0 1 ता 8 सम्पूर्ण किला नं0 13 ता 17 सम्पूर्ण कुल किता 13 की 3.2890 है0, नहरी 0.506 है0, बारानी 2.683 है0, गै0मु0खाला 0.100 है0 कुल किता 27 की कुल क्षेत्रफल 6.6790 है0 नहरी 1.733 है0 बारानी 4.7710 है0 गै0मु0 खाला 0.175 है0 खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है। उक्त तीनों चकों की कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

10.7.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला-हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 94/2019

अनवान :

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी भोजासर चक 1 एमएसआर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी भोजासर चक 1 एमएसआर भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. तोखराम पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी भोजासर चक 1 एमएसआर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : **वादी**
वकील श्री सतवीर बैनीवाल : **प्रतिवादीगण**
निर्णय **दिनांक :** 10-07-2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के मौरूशाला श्री मोमनराम के चक 1 एमएसआर के खाता सं0 124/121 के मु0नं0 8 के किला नं0 6/2 की 0.013 है0, किला नं0 7/2 की 0.013 है0, किला नं0 8/2 की 0.038 है0 किला नं0 9/2 की 0.051 है0, किला नं0 10/2 की 0.063 है0 किला नं. 11 ता 14 सम्पूर्ण, किला नं. 15 की 0.152 है0 किला नं0 16 की 0.013 है0, किला नं0 17 की 0.142 है0 किला नं0 18 ता 22 सम्पूर्ण, किला नं0 23 की 0.177 है0 किला नं0 24 की 0.013 है0 कुल किता 19 की 2.962 है0 मु0नं0 9 के किला नं0 1 की सम्पूर्ण गैरमुमकिन खाला 0.025 है0 किला नं0 2 की 0.190 है0 किला नं0 3 की 0.013 है0 कुल किता 3 की 0.456 है0 नहरी 0.406 है0 गैरमुमकिन खाला 0.050 है0 खाते का कुल योग कुल किता 22 की 3.418 है0 नहरी 3.368 है0 गै0मु0 खाला 0.050 है0 व चक 1 डीपीएन के खाता सं0 47/43 के मु0नं0 66 के किला नं0 24 की 0.190 है0 नहरी मु0नं0 67 के किला न0 1 ता 4 सम्पूर्ण, किला नं0 5 की 0.139 है0, किला नं0 6 की 0.051 है0 किला नं0 7 की 0.051 है0, किला नं0 8 की 0.038 है0 किला नं0 9 की 0.025 है0, किला नं0 10 की 0.013 है0 कुल किता 10 की 1.329 है0 नहरी कुल किता 11 की 1.519 है0 नहरी व चक 9 एसडीआर के खाता सं0 49/45 के मु0नं0 80 के किला नं0 11 ता 20 की सम्पूर्ण, किला नं0 22 की 0.215 है0 किला नं0 23 की 0.215 है0 किला नं0 24 की 0.215 है0 किला नं0 25 की 0.215 है0 कुल किता 14 की 3.390 है0, नहरी 1.227 है0 व बारानी 2.088 है0 व गै0मु0 खाला 0.075 है0 दर्ज है। मु0नं0 83 के किला नं0 1 ता 8 सम्पूर्ण किला नं0 13 ता 17 सम्पूर्ण कुल किता 13 की 3.2890 है0, नहरी 0.506 है0, बारानी 2.683 है0, गै0मु0खाला 0.100 है0 कुल किता 27 की कुल क्षेत्रफल 6.6790 है0 नहरी 1.733 है0 बारानी 4.7710 है0 गै0मु0 खाला 0.175 है0 खातेदारी काश्तकारी भूमि वादी के दादा मोमन वल्द नानू की खातेदारी हुआ करती थी।

10.7.19
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उक्त कृषि भूमि मोमनराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं0 1 औमप्रकाश व उसके भाईयों तिलोकचन्द, महाबीर के नाम से कर्ता खानदान होने के कारण ओद हो गई है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/4 हिस्सा दर्ज है।

पक्षकारान हिन्दू है और हिन्दू विधि से शासित होते है। प्रतिवादी सं0 1 औमप्रकाश के नाम उक्त आराजी कृषि भूमि संयुक्त परिवार की सहदायिकी कृषि भूमि है, जो प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता से औद हुई है। उक्त आराजी में वादी व प्रतिवादी सं0 2 का अपने जन्म से ही हक व हिस्सा है। लेकिन वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से वादी व प्रतिवादी सं0 2 की हकतलफी होती है और बिना किसी जायज जरूरत के प्रतिवादी सं. 1 वाद भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल करने पर आमादा है, इसलिए वादी न्यायालय से प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज आराजी वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। पत्रावली साक्ष्य हेतु रखी गई।

साक्ष्य वादी में वादी नरेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 1 एमएसआर के खाता सं0 124/121 सम्वत् 2064 से 67 प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 1 एमएसआर के खाता सं0 96/91 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 3, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 1 डीपीएन के खाता सं0 47/43 सम्वत् 2061 से 64 प्रदर्श 4, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 1 डीपीएन के खाता सं0 126/121 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 5, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 9 एसडीआर के खाता सं0 44/45 सम्वत् 2062 से 65 प्रदर्श 6, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 9 एसडीआर के खाता सं0 95/57 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाऐ।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद कृषि भूमि मोमनराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं0 1 औमप्रकाश व उसके भाईयों तिलोकचन्द, महाबीर के नाम से कर्ता खानदान होने के कारण ओद हो गई है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/4 हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजी में वादी व प्रतिवादी सं0 2 का अपने जन्म से ही हक व हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद, वादी ने चक 1 एमएसआर, 9 एसडीआर व 1 डीपीएन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 1 एमएसआर के खाता सं0 124/121 सम्वत् 2064 से 67 प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 1 डीपीएन के खाता सं0 47/43 सम्वत् 2061 से 64 प्रदर्श 4, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 9 एसडीआर के खाता सं0 44/45 सम्वत् 2062 से 65 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाऐ है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा मोमन वल्द नानू व पड़दादा नानू वल्द माला के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना व प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता से प्राप्त होना साबित है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है वादी के वाद का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में औमप्रकाश के वारिसान में पत्नी भतेरी व दो पुत्र नरेन्द्र कुमार व तोखराम होना व

10.3.19
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी भादरा (राज.)

इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा **चक 1 एमएसआर** के खाता सं0 95/91 के मु0नं0 8 के किला नं0 6/2 की 0.013 है0, किला नं0 7/2 की 0.013 है0, किला नं0 8/2 की 0.038 है0 किला नं0 9/2 की 0.051 है0, किला नं0 10/2 की 0.063 है0 किला नं. 11 ता 14 सम्पूर्ण, किला नं. 15/1 की 0.126 है0 किला नं0 17/1 की 0.139 है0 किला नं0 18 ता 22 सम्पूर्ण, किला नं0 23/1 की 0.152 है0 किला नं0 24 की 0.013 है0 कुल किता 10 की 2.8850 है0 मु0नं0 9 के किला नं0 1 की सम्पूर्ण गैरमुमकिन खाला 0.025 है0 किला नं0 2/1 की 0.152 है0 किला नं0 3 की 0.013 है0 कुल किता 3 की 0.418 है0 नहरी 0.315 है0 गैरमुमकिन खाला 0.050 है0 खाते का कुल योग कुल किता 21 की 3.3030 है0 नहरी 3.2530 है0 गै0मु0 खाला 0.050 है0 व **चक 1 डीपीएन** के खाता सं0 126/121 के मु0नं0 66 के किला नं0 24 की 0.190 है0 नहरी मु0नं0 67 के किला न0 1 ता 4 सम्पूर्ण, किला नं0 5 की 0.139 है0, किला नं0 6 की 0.051 है0 किला नं0 7 की 0.051 है0, किला नं0 8 की 0.038 है0 किला नं0 9 की 0.025 है0, किला नं0 10 की 0.013 है0 कुल किता 10 की 1.329 है0 नहरी कुल किता 11 की 1.519 है0 नहरी व **चक 9 एसडीआर** के खाता सं0 95/57 के मु0नं0 80 के किला नं0 11 ता 20 की सम्पूर्ण, किला नं0 22 की 0.215 है0 किला नं0 23 की 0.215 है0 किला नं0 24 की 0.215 है0 किला नं0 25 की 0.215 है0 कुल किता 14 की 3.390 है0, नहरी 1.227 है0 व बारानी 2.088 है0 व गै0मु0 खाला 0.075 है0 दर्ज है। मु0नं0 83 के किला नं0 1 ता 8 सम्पूर्ण किला नं0 13 ता 17 सम्पूर्ण कुल किता 13 की 3.2890 है0, नहरी 0.506 है0, बारानी 2.683 है0, गै0मु0खाला 0.100 है0 कुल किता 27 की कुल क्षेत्रफल 6.6790 है0 नहरी 1.733 है0 बारानी 4.7710 है0 गै0मु0 खाला 0.175 है0 खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है। उक्त तीनों चकों की कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

10.7.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (न्यायिक)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़